E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(4): 131-134
Received: 16-08-2021
Accepted: 18-09-2021

सपना कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
सपना कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

आधुनिक समाज के विकास में महिलाओं का घटता अनुपात

सपना कुमारी

सारांश
आज भारत जो विकास के पथ पर अग्रसर है अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। घटता लिंगानुपात एक चिंताजनक तस्वीर बनाता है। अनेक राज्यों में तो शिशु लिंगानुपात बदतर अवस्था में है। यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में लिंगानुपात की समस्या का स्वरूप एक जैसा नहीं है। जहाँ दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्य लिंगानुपात में स्वास्थ्य आँकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत और पश्चिमी राज्यों के आँकड़े चिंताजनक हैं। बात अगर शहरी और ग्रामीण भारत की करें, तो हमारे गाँवों की स्थिति शहरों की तुलना में बेहतर जान पड़ती है। चूँकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य मातृसत्तात्मक हैं इसलिए लड़कियों का महत्त्व बराबर बना हुआ है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिये पलायन करने वाले पुरुषों के कारण शहरी भारत के लिंगानुपात में असंतुलन आया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में पुरुषवादी मानसिकता के कारण समस्या भयावह रूप में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उ.प्र. आदि राज्य लिंगानुपात में सबसे खराब स्थिति दर्शाते हैं।

कूटशब्द: आधुनिक समाज, विकास, महिलाओं का घटता अनुपात

प्रस्तावना
आधुनिक समाज में तो महिलाएँ मात्रा उपभोग की वस्तु बनकर रह गयी हैं। पुरुषों के सेविंग क्रीम या अन्तःवस्त्रा के विज्ञापन में एक खूबसूरत महिला के होने का भला क्या औचित्य हो सकता है। वास्तव में ये मात्रा विज्ञापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति हमारी विकृत होती मानसिकता की परिचायक है। इसी की उपज है, वे छिछोरे लड़के जो राह चलती लड़कियों पर फब्तियाँ कसते हैं, निर्भया का बलात्कार करते है और एकतरफा प्रेम में असफल होने पर लड़कियों पर तेजाब फेंक देते हैं। ऐसे दूषित माहौल में भला कौन दम्पत्ति एक लड़की की 20 से 25 वर्षों तक सुरक्षा का दायित्व उठाना चाहेगा। इससे तो बेहतर वह उसे गर्भ में समाप्त करने में ही अपनी भलाई समझेगा। आकड़े बताते हैं कि आज प्रत्येक 6 में से 1 बालिका की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। बड़े पैमाने पर देखें तो यह आँकड़ा प्रत्येक 1 करोड़ पर 20 लाख के लगभग है।

कुछ क्षेत्रों में समस्या कितनी भयावह हो चुकी है इसका उदाहरण हरियाणा राज्य की स्थिति से समझा जा सकता है। आज इस राज्य के अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ विवाह के योग्य कुँवारे लड़कों की लम्बी लाइन लग चुकी है, पर अफसोस लड़कियाँ उनको ढूँढ़ते नहीं मिल रही हैं। मजबूरी में ये लोग बिहार और बंगाल जैसे राज्यों से महिलाओं की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। कहने को तो ये उनसे शादी करते हैं, पर वास्तव में ये उनका उपभोग करके दूसरे पुरुष सदस्यों को बेच देते हैं।

इस प्रकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में एवं उनके शोषण में वृद्धि ही हुई है। घटता लिंगानुपात कितनी अन्य समस्याओं को जन्म दे रहा है उपर्युक्त उदाहरण इस बात को समझने के लिए काफी है।

कन्या भ्रूण हत्या ने इस समस्या को और भयावह बना दिया है। आज आधुनिक तकनीक से गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग पहचान संभव है। पहले जहाँ कन्या को जन्म लेने के पश्चात विभिन्न क्रूरतापूर्ण तरीकों से मार डाला जाता था,वहीं आज यह काम डॉक्टरों और पैथोलॉजी सेन्टरों द्वारा भ्रूण हत्या के रूप में व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक छट्ठी कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। गैर सरकारी सर्वेक्षण बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ में से 20 लाख कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, परन्तु इण्डियन मेडिकल एशोसिएशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किए जाते हैं। आँकड़े चिंताजनक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सबको एक माँ, पत्नी, प्रेमिका और सेवा करने वाली नर्स चाहिए फिर क्यों स्वयं को आधुनिक कहने वाले समाज को एक बेटी नहीं चाहिए। हम भारतीय अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने दोहरे मापदण्ड अपनाते है, उपर्युक्त कथन इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है।

फिलहाल इस घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी नजर आती है। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है ऐसा भी नहीं है। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक लगाने वाला कानून हमारे देश में 1994 से लागू है। जिसके तहत जुर्माने व कारावास दोनों का प्रावधान है। लिंग परीक्षण करने वाली पैथोलाॅजी का लाइसेंस भी रद्द करने का कानून है, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की पहल की गयी है। परन्तु नयी तकनीकों के विकास और इसके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए 2003 में इसे संशोधित कर और प्रभावी बनाया गया। इन सारे प्रावधानों से कन्या भ्रूण हत्या पर कुछ हद तक रोक तो लगी है, पर चोरी-छिपे ये काम अभी भी गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। सरकार की अनेक योजनाएं बालिकाओं के लिए विशेष रूप से चलायी जा रही हैं ताकि माता-पिता उन्हें बोझ न समझे। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने, उनकी मुत स्कूली शिक्षा का प्रबन्ध करने, सुकन्या योजना के तहत उनके लिए बैंक में धनराशि जमा करने आदि कल्याणकारी कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। उद्देश्य यह है कि महिलाएँ स्वयं को सुरक्षित समझें और उन्हें अपने विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध हों। वे आत्मनिर्भर बने ,जिससे कोई माता-पिता बेटियों को बोझ न समझें। इसके अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रयासरत हैं। वे विभिन्न माध्यमों से समाज में जागरूकता फैला रहे हैं।

लेकिन घटते लिंगानुपात ने समाज में अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। शादी के लिए महिलाओं की अनुपलब्धता ने उनकी खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दिया है, साथ ही उनके प्रति होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हुई है। यहाँ यह समझना होगा कि समाज और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब स्त्री और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दें। पर मात्रा कानून बना देने भर से समस्या सुलझने वाली नहीं। यदि ऐसा होता तो भारत आज धरती का स्वर्ग होता, क्योंकि हमारे यहाँ कानूनों की कोई कमी नहीं।सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत की बेटियों ने खुद नए मापदण्डों को स्थापित किया है। आज जब साइना नेहवाल विश्व की नम्बर वन महिला बैडमिन्टन खिलाड़ी बनती हैं, या मैरी कॉम ओलम्पिक में पदक जीतती हैं तो मात्रा यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि भर नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह उस मानसिकता पर आघात करता है जो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझता है। इनके कारनामें समाज को महिलाओं के प्रति नजरिया बदल लेने को विवश करते है। सबसे बढ़कर यह खुद महिलाओं को आत्मविश्वास से भर देता है। जो कि इस असंतुलित लिंगानुपात की समस्या का सबसे प्रभावी एवं उसकी जड़ों पर प्रहार करने वाला समाधान है। सरकारी प्रयास तो इस दिशा में काफी समय से जारी हैं, पर जब तक हम एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर खुद का दृष्टिकोण नहीं बदल लेंगे तब तक सरकार या समाज को कोसने से कोई फायदा नहीं। सच बात तो यह है कि बेटियाँ अन्तरिक्ष तक पहुँची हैं, उन्होंने तैरकर सात समुन्दर पार किए हैं, पर्वतों की सर्वोच्च चोटियों तक पहुँच चुकी हैं। ऐसे में उनकी काबिलियत पर भरोसा न करना मर्दों का झूठा अहं ही है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़े और हमारी बहनों, बेटियों की उपलब्धियों को खुले दिल से स्वीकार करें। समाज की उन दकियानूसी परम्पराओं और रीति-रिवाजों पर लानत है जो बेटे और बेटियों में भेद करती हैं। ऐसी मान्यताएं आखिर किस काम की जो एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर ही न समझे।

हमारी सभ्यता की नियति को सँवारने में महिलाओं की भूमिका अहम है। फिर भी ज्यादातर महिलाओं की अनदेखी होती है और उन्हें असमानता व अभाव से भी जूझना पड़ता है। यदा-कदा उन्हें क्रूर हिंसा/अपराध का सामना करना पड़ता है। भारत में परंपराएं/रीति-रिवाज बेटियों के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। महिलाओं को बराबरी देने के तमाम दावों और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में नवजात बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, गर्भ में पल रही बच्चियों के लिए भी उनकी माताओं को दुत्कार दिया जाता है। पक्षपात और भेदभाव के साथ हमारा समाज कन्याओं/महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार करता है और इसकी शुरूआत उनके जन्म से पहले ही हो जाती है। इस पक्षपातपूर्ण रवैये व दुव्र्यवहार का सामना उन्हें

बचपन, किशोरावस्था और वयस्क (गर्भावस्था) से लेकर पूरी जिन्दगी करना पड़ता है।

यद्यपि सती, जौहर और देवदासी जैसी पुरातन कुरितियाँ अब प्रतिबंधित हैं और आधुनिक भारत में इनके लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी देश के दूर-दराज इलाकों से आज भी कुछेक घटनाएं सामने आती हैं। इसी प्रकार, पर्दा प्रथा का प्रचलन शहरों और अभिजात्य वर्ग में कम हो रहा है, परंतु ग्रामीण परिवारों में यह आज भी प्रचलित है। घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, छेड़खानी, यौन शोषण और देहव्यापार आदि चिन्ता के अन्य विषय हैं। भारत में घरेलू हिंसा सर्वव्यापी हो गई है और यह तब है, जबकि महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान की गई है।

कन्याओं के प्रति पक्षपात के कई रूप हैं, अपर्याप्त स्तनपान व भोजन और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवाओं में देरी उन्हें कुपोषण का शिकार बनाती हैं, जबकि देखभाल में कमी और अनदेखी उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर देती है। परिवार में कन्याओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तित्व विकास और शिक्षा आदि के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रखे जाते हैं। ये सभी महिलाओं में उच्च मृत्युदर के कारण हैं। भ्रूणहत्या संभवत/महिलाओं के प्रति हिंसा का क्रूरतम रूप है, जो उन्हें एक आधारभूत और मौलिक अधिकार से वंचित करता है। जो है, 'जीने का अधिकार'। पुराने जमाने में अवांछित कन्या शिशु को जहर देकर, गला घोंटकर व अन्य विधियों से मार दिया जाता था।

हमारे समाज में कन्या-शिशु हत्या का प्रचलन पुराने समय से है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या में लगातार वृद्धि होती चली गई। तकनीकी प्रगति की वजह से जन्म-पूर्व (प्री-नेटल) लिंग निर्धारण संभव होने लगा और इससे कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते चले गए। बेटों को प्राथमिकता या पुत्रा मोह की सदियों से चली आ रही परंपरा, चिकित्सा तकनीकों के साथ मिलकर भारतीय परिवार को विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे बेटियों के लिए भारी दहेज देने के लिए तैयार रहे या फिर जन्म से पहले ही उन्हें खत्म कर दे। परिणामस्वरूप, अभिनव चिकित्सा प्रौद्योगिकी और लिंग निर्धारण तकनीक का उपयोग या दुरूपयोग कन्याओं के जन्म से पूर्व ही उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाने लगा ।

भारत में जन्म से ही कन्या को एक भार, भोजन के लिए अतिरिक्त मुँह, माना जाता है। कुल मिलाकर कन्याओं को बोझ और पराया धन समझा जाता है। दूसरी तरफ बेटों का जन्म वंश का नाम आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए बेटों के जन्म के लिए मनौतियां मांगी जाती हैं। कन्याओं को सदैव वित्तीय बोझ के रूप में देखने वाला हमारे घोर पैतृक समाज में इन रूढ़ीवादी कुरितियों की वजह से निम्न लिंगानुपात वाले ग्रामीण इलाकों में बलात्कार, देहव्यापार और पत्नी साझा करना समेत महिलाओं के प्रति अन्य अपराधों में वृद्धि हो रही है।

पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या को मापने के लिए लिंगानुपात एक कारगर मानदण्ड है। जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी जनसंख्या में 1000 पुरूषों पर केवल 940 महिलायें हैं, और यह निम्न लिंगानुपात को दर्शाता है। घटता बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) गहरी चिंता का विषय है। देश के प्रख्यात जनसंख्या विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष बोस ने लुप्त होती कन्यायें (मिसिंग गर्ल्स) को लेकर खतरे की घंटी बजाई है और 6 वर्ष से कम उम्र की जनगणना आँकड़ों का अलग से मूल्यांकन करने पर जोर दिया है। जनगणना 2011 के मुताबिक बाल लिंगानुपात घटकर 919 बालिका प्रति 1000 बालक हो गया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्य भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। दिल्ली में बाल लिंगानुपात (871 बालिकायें/1000 बालक) सर्वाधिक कम है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात एक सकारात्मक ट्रेंड को दर्शाता है, पर बाल लिंगानुपात का गिरना गहरी चिंता का विषय है। महिला जन्मदर के गिरने का एक बड़ा कारण जन्म के समय कन्याओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार भी माना जाता है।

कई महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऊंचाइयों को छुआ है। यदि उनके माता-पिता भी कन्या भ्रूण हत्या को अपनाते तो समाज के विकास में हम उनके योगदान से वंचित रहते।

कन्या और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए उपाय और पहल निम्न हैं

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- प्रधानमंत्री ने हाल में ही इस योजना का शुभारम्भ किया। योजना का एक उद्देश्य निम्न बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में स्थिति को सुधारना है।
2. सेव द गर्ल चाइल्ड का उद्देश्य लिंग के आधार पर गर्भपात को समाप्त करना है ताकि कन्या भ्रूण हत्या से निजात मिले।
3. भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण (स्वशक्ति) वर्ष घोषित किया था तथा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई।
4. कन्याओं को जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त नकद प्रोत्साहन और छात्रावृत्तियाँ दी जाती हैं और एक/दो कन्याओं के माता-पिता के लिए उच्च पेंशन लाभ का भी प्रावधान है।
5. बालिकाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली योजना शुरू की गई है और राज्यों में भी इस तरह की योजनायें चलाई जा रही हैं।
6. सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और किशोरी शक्ति योजना।

कन्याओं से संबंधित कुछ मुद्दों को राष्ट्रीय बाल नीतियों में समाहित किया गया है और निम्न कार्यक्रमों के तहत उन पर ध्यान दिया जाता है -

1. राष्ट्रीय बाल नीति, 1974
2. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005
3. प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स-रेगूलेशन एण्ड प्रीवेन्शन आॅफ मिसयूज (पीएनडीटी) एक्ट, 1994
4. प्री- कॉन्सेप्शन, प्री-नेटल डेग्नोस्टिक टेक्नीक्स-रेगूलेशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ मिसयूज (पीसीपीएनडीटी) एक्ट, 2004
5. देह व्यापार (इमोरल ट्रेफिक) रोकथाम अधिनियम, 1986

चूंकि बाल लिंगानुपात तेजी से घट रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए राज्यों को उन परिवारों को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं जो कन्याओं का सम्मान और आदर करते हैं।

निष्कर्ष

समाज में कन्या/महिला के सकारात्मक छवि स्थापित करने के लिए नीति निर्धारकों, योजनाकारों, प्रशासकों, प्रशासनिक एजेंसियों और मुख्य रूप से समुदायों को लिंग भेदी मानसिकता के खिलाफ जागरूक करना बेहद जरूरी है। ग्रामीण व कमजोर वर्ग समेत सभी महिलाओं को तत्काल शिक्षित और सशक्त करना जरूरी है। इससे परिवार और समुदाय में उनकी स्थिति सुधरेगी। महिला सशक्तिकरण से ही बहुआयामी प्रगति होगी, साथ ही रूढ़ीवादी मान्यताओं व गैरवैज्ञानिक प्रचलनों से निजात मिलेगी।

संदर्भ

1. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आलेख, डॉ. संतोष जैन पासी, लोक स्वास्थ्य पोषण सलाहकार, पूर्व निदेशक, इंस्टीच्यूट ऑफ होम इक्नोमिक्स (दिल्ली विश्वविद्यालय)।
2. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आलेख आकांक्षा जैन, रिसर्च एसोसिएट, एलएस टेक वेंचर्स, गुड़गांव।
3. गृहशोभा, दिसम्बर- 2014।
4. सखी-सहेली, उपेन्द्र धाकरे, निरोगी दुनिया प्रकाशन, जयपुर।